

प्रेसनोट
सराहनीय कार्य, जनपद एटा

एटा - थाना जैथरा पुलिस को मिली सफलता, ग्राम नगला गुमानी में हुई युवक की हत्या की घटना में बांछित अभियुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना जैथरा पुलिस द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत मुअसं- 11/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 307 व 34 भादंवि में फरार चल रहे आरोपी को अवैध असलहा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

घटना:- दिनांक 06.01.2021 को वादी श्री रामकिशन पुत्र सुखराम निवासी नगला गुमानी थाना जैथरा द्वारा थाना जैथरा पर इस आशय की सूचना दी गयी कि दिनांक 06.01.2021 को शाम के समय पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही केशपाल आदि 5 अन्य लोगों ने वादी के घर में घुसकर उसके भाई के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना जैथरा पर मुअसं- 11/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 307 व 34 भादंवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए टीम गठित कर घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष जैथरा को निर्देशित किया गया। दिनांक 14.01.2021 को थाना जैथरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में फरार चल रहे आरोपी रंजीत पुत्र केशपाल निवासी नगला गुमानी थाना जैथरा एटा को सर्रा भट्टा तिराहे के पास से समय करीब 7.20 बजे एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैथरा पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तथा घटना में फरार चल रहे हैं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

नोट- घटना से सम्बंधित मुख्य अभियुक्त केशपाल व रवि को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- रंजीत पुत्र केशपाल निवासी नगला गुमानी थाना जैथरा एटा।

बरामदगी:-

1- एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस 315 बोर

